अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

284/22/225 शंकर v/s ओमप्रकाश व.गै.

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री वैभव कृष्ण पारीक AD श्री घनश्याम लखावत -1	

13/10/22

शंकर बनाम ओम प्रकाश वगैरह

पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक केवियटकर्ता (रेस्पोडेन्ट संख्या 01) उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपनी खातेदारी काश्तकारी की आराजी खसरा नम्बर 532 व 535, 527 के रास्ता बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के जवाब में मुताबिक खसरा नम्बर 537 की पश्चिमी दिशा में आम रास्ता मौके उपलब्ध बताया है। उक्त आम रास्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की आराजीयात के निकटतम रास्ता है जो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के लिए सुविधाजनक है। खसरा नम्बर 537 राधा स्वामी सत्संग व्यास के नाम दर्ज चली आ रही थी उसमें से उक्त खसरे के पश्चिमी दिशाा में रास्ता होने बाबत एक रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 03.09.2009 को श्रीमती शांति देवी पत्नी टीकम चन्द शर्मा के नाम बेचाननामा उप-पंजीयक, विजयनगर के कार्यालय में पंजीबद्ध करवाया गया था उक्त बेचाननामा में जो आराजी बेचान हुई उसमें रास्ते के लिए भूमि का बेचान किया था जो रास्ता 51 गज गुणा 5 गज अर्थात 255 वर्ग गज का रास्ता के लिए भूमि छोड़ी गई है और उक्त ही बेचान किया गया था, जो की रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की आराजीयात में जाने हेतु एक निकटतम रास्ता है इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश प्रदान करके भारी कानूनी एवं सैद्धान्तिक भूल की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अपीलांट की खातेदारी भूमि में से कभी भी रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग नहीं किया गया है बल्कि यह अपीलांट की खातेदारी भूमि है। यदि अपीलांट की खातेदारी की भूमि मे से रास्ता दिया जाता है तो अपीलांट के खेत के दो टुकडे. हो जाते है और खेत काबिज काश्त नहीं रहेगा इसलिए अपीलांट की खातेदार की भूमि में से ना तो कोई रास्ता दिया जा सकता है और ना ही वर्तमान में है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.09.2020 को तहसीलदार को मौका रिपोर्ट बाबत् आदेश प्रदान किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की गई एवं मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की गई एवं मौका रिपोर्ट बाबत् अपीलांट को कोई नोटिस प्रदान नहीं किया गया और ना ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। उक्त मौका रिपोर्ट अपीलांट कीअनुपस्थिति में तैयार की गई है। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना को स्थगित किया जाना अत्यधिक आवश्यक है,इसलिए अप्रार्थीगण को पाबंद फरमाया जाये कि वह अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में किसी भी प्राकर की कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं करें। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला अपील उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.202 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित फरमाया जावें एवं अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस को पाबंद फरमाया जायें कि वह वादग्रस्त आराजी के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में 2018 डी.एन. जे.(Rev.) पेज 221, 2016 (1)आर.आर.टी.पेज 649 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

अभिभाषक केवियटकर्ता ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र

लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

284/2022/25 शंकर वि/ओमप्रकाश

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री रामकृष्ण पारीक श्री G.L. ...	

लगातार

अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा बाड़ी तहसील विजयनगर में खसरा नम्बर 532, 535, 527 की भूमियों के खातेदार काश्तकार व काबिज काश्त है। खसरा नम्बर 532 के दक्षिण की तरफ खसरा नम्बर 530 रकबा 0.0525 है0 भूमि अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी की चली आ रही है व इसके आगे डामर रोड़ चली आ रही है। प्रार्थी अरसे दराज से इसी भूमि खसरा नम्बर 530 से होकर अपनी खातेदारी की भूमि आ जा रहे है व कृषि वाहन इत्यादि लेकर आते जाते चले आ हर है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 से अपने खेतो पर जाने के लिए दिनांक 12.07.20202 को 30 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने के लिए मौखिक कथन किया किन्तु वह रास्ता देने से स्पष्ट इंकार कर दिया, इसलिए रास्ते चाहने बावत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया तथा अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार, विजयनगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 3080 दिनांक 09.09.2022 में कथन किए है कि प्रार्थीगण की अपनी खातेदारी की भूमि प आने जाने हेतु कोई रास्ता रेकार्ड में नही है। प्रार्थी अपनी भूमि में आवागमन हेतु कभी खसरा नम्बर 537 तो कभी खसरा नम्बर 530 का उपयोग करता है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि आवागमन हेतु ,खसरा नम्बर 526 व 529 से रास्ता दिया जाना उचित है। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 529 में रकबा 0.0235 है0 भूमि बावत् रास्ते के आदेश दिये है, जो विधि सम्मत है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है क्योंकि अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01ने पूर्व में मौखिक कथन किया था तथा प्रार्थी का उक्त खसरा नम्बर 529 में से आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग उपभोग किया जाता रहा है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि काश्तकार के आने जाने के लिए रास्ता का अभाव है तो रास्ता दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.09.2022 में किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि व विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन एवं अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट भू-निरीक्षक, लोडियाना द्वारा तैयार की गई है जिसमें ना तो पटवारी हल्का के हस्ताक्षर है ना ही प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर है इस प्रकार यह मौका रिपोर्ट केवल भू-निरीक्षक के द्वारा तैयार की जाकर तहसीलदार, विजयनगर को प्रेषित की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 21.09.2022 को आदेश पारित किये है जबकि उक्त मौका रिपोर्ट में निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 529, 530 व 537 भी बताये गये हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 530 में से रास्ता की मांग की गई, किन्तु उक्त मौका रिपोर्ट में प्रार्थी के खेत खसरा नम्बरान से दूरी का विवरण अंकित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 526 में से भी रास्ता दिये जाने के आदेश दिये है कि खसरा नम्बर 526 के खातेदार काश्तकार पारस देवी पत्नी बाबूलाल पाण्ड्या जाति ब्राहमण को पक्षकार हीं संयोजित नही किया है तथा बिना पक्षकार संयोजित कर पारस देवी की खातेदारी काश्तकारी खसरा नम्बर 526 में से

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

284/2022/225 शंकर V/S ओमप्रकाश

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री अपीलार्थी/प्रत्यर्थी ...	

लगातार

रास्ता दिये जाने के आदेश दिये है जो त्रुटि पूर्ण है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में बनाया जाना पाया जाता है। उपरोक्त सभी कारणों एवं अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए तथा एवं पक्षकारान के समय व आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण को इसी स्तर पर निस्तारण करना उचित समझते है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के आदेश दिनांक 21.09.2022 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वें प्रकरण में प्रार्थीया पारस देवी पत्नी बाबूलाल पाण्डया जो खसरा नम्बर 526 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है को पक्षकार संयोजित कर, अप्रार्थीगण से जवाब प्राप्त कर, धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सरकारी नियम 69 के प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः मौके की सभी पक्षकारान की उपस्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 01/प्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर 532, 535, 527 को ध्यान में रखते हुए कानूनी प्रावधानो के अनुसार मौका रिपोर्ट तलब कर यदि मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्राप्त होती है तो मौका रिपोर्ट आपत्ति का निस्तारण कर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें।

अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी,मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 107/2020(2020/00249) में पारित आदेश दिनांक 21.09.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वें प्रकरण में प्रार्थीया पारस देवी पत्नी बाबूलाल पाण्डया जो खसरा नम्बर 526 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, को पक्षकार संयोजित कर,अप्रार्थीगण से जवाब प्राप्त कर, धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सरकारी नियम 69 के प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः मौके की सभी पक्षकारान की उपस्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 01/प्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर 532, 535, 527 को ध्यान में रखते हुए कानूनी प्रावधानो के अनुसार मौका रिपोर्ट तलब कर यदि मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्राप्त होती है तो मौका रिपोर्ट आपत्ति का निस्तारण कर पुनः 30 दिवस में विधि सम्मत आदेश पारित करें। उभयपक्षकारान को उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के न्यायालय में दिनांक 04.11.2022 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में सप्ताह भर की चार तारीख पेशियाँ देकर प्रकरण का निस्तारण करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(हस्ताक्षर)

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर